भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल
Website:www.bsgmp.net E_mail:scoutguide_bpl@hataone.in, bsgmadhyapradesh@gmail.com Phone ✆: 2661263,2737446 Fax: 2737446

सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) की समीक्षा बैठक दिनांक 16 से 17 अगस्त 2013, राज्य मुख्यालय भोपाल का

–: कार्यवाही विवरण :–

ए0एस0ओ0सी0 की बैठक दिनांक 16 अगस्त 2013 को प्रातः 10 बजे ईश–प्रार्थना से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संयुक्त सचिव, एस0ओ0सी0 (स्काउट/गाइड) एवं एस0टी0सी0 (स्काउट/गाइड) की उपस्थिति में प्रारंभ की गई । जिसमें बिन्दुवार चर्चा की गई जो निम्नानुसार है –

1– ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0 समीक्षा बैठक दिनांक 4 से 6 जुलाई 2013 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा –

1– युवा कार्यक्रम :–

20 दलों का चयन :–

माह जून–जुलाई 2013 में **20 दलों का संचालन अभियान अन्तर्गत** जिलों में 20 दल का चयन करना था जिसके अन्तर्गत व्यवस्थित सूची मात्र जिला ग्वालियर एवं कटनी की प्राप्त हुई है, लेकिन इन जिलों ने कब, बुलबुल, रेंजर विभाग का चयन नही किया गया है साथ ही कटनी जिले में स्काउटर–गाइडर का एडवांसमेन्ट अंकित नही किया है। जिला रायसेन, विदिशा, राजगढ, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, रींवा, सीधी, धार का सूची दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त न होने के कारण तथा स्काउटर–गाइडर का सहमति पत्र नहीं होने के कारण मूलतः वापिस किया गया है।

निर्देश :–दिनांक 30 अगस्त 2013 तक 20 दलों सूची एवं सहमति पत्र के साथ भेजने पर ही अगस्त माह का वेतन जारी किया अन्यथा नहीं । अतः 20 दलों की सूची शीघ्र भेजे ।

2– प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता की लॉगबुक :–

प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता सत्र 2012–2013 के पंजीकृत दलों की लॉगबुक तैयार करवाने के लिये निर्देशिका में दिये गये निर्देशानुसार उनके द्वारा चयनित विषयों पर किये गये कार्य की लॉगबुक तैयार करवाये एवं लॉगबुक की समस्त पूर्तियॉकर दिनांक 30 अगस्त 2013 तक राज्य मुख्यालय भोपाल अनिवार्य रूप से भेजे ।

निर्देश :– दिनांक 30 अगस्त 2013 तक लॉगबुक भेजे ।

3– दल गठन :–

दल गठन अभियान अन्तर्गत दल गठन हेतु निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भेजने हेतु निर्देश दिये गये थे लेकिन संभाग एवं जिलो द्वारा कार्यवाही नही कि गई। सभी संभागों से जारी किये जाने की जानकारी दी गई ।

पंजीकृत/अपंजीकृत दलों की जानकारी आज दिनांक तक 26 जिलों की प्राप्त हुई है एवं 24 जिलों की जानकारी अप्राप्त है । अतः सभी अपने संभाग एवं जिलों के पंजीकृत एवं अपंजीकृत दलों की जानकारी 30 अगस्त तक भेजें।

4– मासिक कार्य योजना एवं मासिक कार्य प्रतिवेदन भेजने विशयक :–

मासिक कार्य योजना माह अगस्त से राज्य मुख्यालय द्वारा तैयार कराई जा रही है अतः आप कार्य योजना अनुसार कार्य कार्यान्वित कर मासिक कार्य प्रतिवेदन एवं प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित बिन्दुओं पर लक्ष्यपूर्ति का उल्लेख करते हुये प्रतिमाह की निर्धारित प्रति माह की 05 तारीख तक भेजें। अधिंकाश ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0 द्वारा उक्त प्रतिवेदन समय पर नहीं भेजे जा रहे है ।

निर्देश :–प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व मासिक कार्य प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही वेतन जारी किया जावेगा मासिक कार्ययोजना राज्य मुख्यालय द्वारा तैयार की जावें। अतः समस्त ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0 मासिक कार्ययोजना अनिवार्य रूप से समय पर भेजें।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

5— **स्वतंत्र बैज परीक्षकों की नियुक्ति :—**

युवा एडवांसमेन्ट में स्वतंत्र बैज परीक्षकों द्वारा जांच कार्य पूर्ण होना है जिसके लिये पिछली बैठक में निर्देश दिये गये थें कि स्वतंत्र परीक्षकों की नियुक्ति कर नाम, पता, मोबाईल नम्बर, हस्ताक्षर, एवं दक्षता बैज का नाम सहित सूची 15 जुलाई 2013 तक भेजना था जो आज दिनांक तक किसी भी संभाग व जिले द्वारा सूची नहीं भेजी गई है।

निर्देश :— दिनांक 30 अगस्त 2013 तक अनिवार्य रूप स्वतंत्र बैज परीक्षको की सूची भेजे ।

विशेष निर्देश :—

1 ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयों में दिये गये निर्देशों का पालन सीमा मे करते हुये पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से भेजें।

2 वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्यपूर्ति करने हेतु अपनी प्रतिमाह के कार्ययोजना अनुसार कार्य सम्पादित कर कार्यप्रतिवेदन एवं प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में भेजे ।

3 20 दल संचालन अभियान अन्तर्गत 20 दलों की जानकारी एंव दल गठन की जानकारी दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30 अगस्त 2013 तक भेजना अनिवार्य है जानकारी अप्राप्त की स्थिति में वेतन जारी नहीं किया जा जावेगा ।

4 युवा एडवांसमेन्ट के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर के जॉच स्वतंत्र परीक्षकों द्वारा किया जाना है अतः जिले में प्रत्येक विभाग के प्रत्येक दक्षता बैजों की स्वतंत्र परीक्षक नियुक्ति करना आवश्यक है । अतः दिये गये निर्देशानुसार सूची 30 अगस्त 2013 तक राज्य मुख्यालय भेजे ।

2— वयस्क प्रशिक्षण :—

1 **सामान्य सूचना शिविर :—**

सामान्य सूचना शिविर में प्रायः यह देखा जा रहा है कि इस शिविर में महिलाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। सामान्य सूचना शिविरों का प्रतिवेदन मय सूची सहित राज्य मुख्यालय भेजना अनिवार्य है ।

निर्देश :— यदि उक्त शिविर में महिला शिक्षिका उपस्थित हो तो उनकी अलग से गाइडर की बैठक की जाकर प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय भेजे । दोनो का अलग अलग प्रतिवेदन भेजे ।

2 **बेसिक शिविर के प्रस्ताव व मान्यता :—**

अ— बेसिक शिविर के आयोजन हेतु प्रस्ताव सूची सहित दिनांक 20 अगस्त 2013 तक मॉगें गये थे। जिसके अन्तर्गत कुछ संभाग व जिले से प्रस्ताव प्राप्त हुये लेकिन सूची नहीं भेजी गई । सूची के अभाव में मान्यता जारी नहीं की गई और जिन जिलों की मान्यता जारी की गई है वह शिविर सूची के अभाव में निरस्त किये जाते है इस लिए सभी प्रस्ताव सूची सहित भेजें।

ब— बेसिक एवं एडवांस शिविरों का आयोजन चिन्हित राज्य / संभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में किया जावेगा जिसका परिपत्र जारी किया जा चुका है । जिसमें प्रत्येक जिले से कम से कम प्रतिभागिता लक्ष्य निम्नानुसार है :—

क्रम	कोर्स	स्का0मा0	कब मा0	रो0ली0	गा0के0	फ्लाक ली0	रेंजर ली0
1	बेसिक	24	12	2	12	6	2
2	एडवांस	12	6	1	6	3	1

निर्देश :—1 उपरोक्त लक्ष्य अनुसार बेसिक कोर्स में प्रतिभागिता हेतु संभाग / जिले से नामों की सूची दिनांक 20 अगस्त 2013 तक राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजे । यदि संख्या के अभाव में शिविर निरस्त होतो है तो उसकी जिम्मेदारी आप सभी की होगी।

2 एडवांस कोर्स हेतु ऐसे दलों के स्काउटर—गाइडर जिसका दल चल रहा हो, पंजीकृत हो, वारंट व चार्टर प्राप्त हो, को ही प्रतिभागिता करावें एवं प्रधानमंत्री / उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता के लिये पंजीयन करवाना आवश्यक है।

3 एडवांस रेंजर लीडर जो पिछले तीन वर्षो से दल का संचालन कर रही हो के वांरट फार्म की समस्त पूर्तियॉ कर आवश्यक सहपत्रों के साथ दिनांक 10 सितम्बर 2013 तक अनिवार्य रूप से भेजे ।

विशेष निर्देश :—

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

1 बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त स्काउटर–गाइडर के वारंट पत्र के लिये निर्धारित फार्म में समस्त पूर्तियॉ करवाकर आवेदन आवश्यक सहपत्रों के साथ राज्य मुख्यालय भेजे ताकि वारंट जारी किये जा सके

2 बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त स्काउटर–गाइडर के दल का गठन करवाकर पंजीकृत करवाये एवं दल पंजीकृत पश्चात् चार्टर जारी किये जावे ।

3. जिन दलों में एडवासमेन्ट हो रहा है उन दलों को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता के लिये अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराये ।

4 जो प्रशिक्षक शिविरों में सम्मिलित नहीं होते है उनसे लिखित में पत्र ले ली जावे कि वे स्काउट–गाइड गतिविधियों में कार्य नहीं करना चाहते है ।

5 ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0 अपनी डेली डायरी, चेक लिस्ट अनिवार्य रूप से बनावे ताकि वह समय सीमा में कार्यो को सम्पादित कर सके ।

6 प्रत्येक स्तर के शिविर की जानकारी प्रथम दिवस को ही प्रतिभागियों व संचालक मण्डल की स्थिति से राज्य मुख्यालय को अवगत करायेगें ताकि परिवेक्षक की व्यवस्था की जा सके ।

7 प्रत्येक स्तर पर संभाग/जिलों से जारी पत्रों की एक प्रति राज्य मुख्यालय को अवश्यक भेजे ।

8 युवा/वयस्क कार्यक्रम के अन्तर्गत जो भी प्रशिक्षण जांच शिविर किये जावे तो उसकी जानकारी व तिथि से राज्य मुख्यालय को 15 दिवस पूर्व सूचित करें जिससे पर्यवेक्षक भेजा जा सके ।

3– माह जुलाई+अगस्त 2013 का कार्य प्रतिवेदन :–

प्रत्येक संभाग के ए0एस0ओ0सी0 द्वारा माह जुलाई+अगस्त 2013 तक किये गये कार्य का प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. प्रस्तुतीकरण में श्री बी0एल0शर्मा ए0एस0ओ0सी0 द्वारा जुलाई 2013 का भ्रमण प्रतिवेदन गलत बताया गया जिसके कारण उक्त माह का भ्रमण का यात्रादेयक अमान्य किये जाने के निर्देश दिये गये

निष्कर्ष :– सभी ए0एस0ओ0सी0 का कार्य प्रतिवेदन अवलोकन करने पर पाया गया कि किसी भी ए0एस0ओ0सी0 ने संस्था प्रधान व स्काउटर–गाइडर की बैठक, 20 दल संचालन अभियान, एवं दल गठन अभियान पर कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की है और न ही किसी भी दल का भ्रमण किया गया ।

निर्देश :– जुलाई एवं अगस्त माह के कार्यक्रम नहीं हो पाये है उन कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला संघ के पदाधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन कर कार्य सम्पादित करवाकर प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिये गये ।

4 प्रस्तावित कार्ययोजना माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर 2013 पर चर्चा :–

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा माह अगस्त 2013 के शेष कार्य दिवस निर्धारित पांच बिन्दुओं को ध्यान में रखकर कार्य योजना का प्रारूप प्रस्तुत कर निर्देश दिये गये कि चिन्हित 12 बिन्दुओं पर आप सभी को कार्य कर प्रतिवेदन दिनांक 30 अगस्त 2013 तक प्रस्तुत करने पर ही आपका वेतन जारी किया जा सकेगा इस संबंध की जानकारी सभी डी0ओ0सी0 को भी दे दी जावे ।

5 पत्रिका :–

अ– पत्रिका की सदस्यता :–

बालचर रवि मासिक पत्रिका की सदस्यता निरंतर गिरता जा रहा है जो ठीक नहीं । सदस्यता वृद्धि पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है । अतः आप संभाग/जिले के प्रत्येक विद्यालय का भ्रमण कर सदस्यता में वृद्धि करें एवं प्रतिमाह सदस्य संख्या की जानकारी कार्य प्रतिवेदन में अंकित करें ।

ब– पत्रिका में विज्ञापन :–

संस्था की मासिक पत्रिका "बालचर रवि" में प्रकाशन हेतु प्राप्त विज्ञापन के विज्ञापन सहयोगियों के नाम व प्राप्त विज्ञापन की राशि की सूची प्रदर्शित की गई तथा संस्था की आय में वृद्धि हेतु विज्ञापन प्राप्त करने का सुझाव दिया जिस हेतु निर्धारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी इसलिये प्रतिमाह कम से कम 5000/– रूपये की विज्ञापन राशि पत्रिका हेतु भेजी जावे ।
पत्रिका में प्रकाशनार्थ विज्ञापन संस्था के लिये एक अच्छा आय का स्त्रोत है । संस्थाओं, फार्मो से विज्ञापन अनिवार्य रूप से लाये। जो ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0/कर्मचारी विज्ञापन प्राप्त कर प्रकाशनार्थ लायेगा उसे उस विज्ञापन राशि से 20 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि दिया जावेगा या स्वयं विज्ञापन राशि में से 20 प्रतिशत राशि कम कर विज्ञापन व राशि राज्य मुख्यालय में जमा करें।

शाजापुर जिले से पत्रिका सदस्यता हेतु राशि 53000/– कार्यालय को प्राप्त हुई है जिससे पत्रिका संचालन में सहयोग मिलेगा इस हेतु संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, ए.एस.ओ.सी., डी.ओ.सी. एवं सम्बन्धित सहयोगी सभी धन्यवाद एवं बधाई के पात्र है ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

6— पंजीयन :—

प्रत्येक जिले में पंजीयन की राशि अत्यधिक लम्बित है इसलिये शालावार सूची तैयार कर दल पंजीयन की संकलित राशि प्रतिमाह अनिवार्य रूप से राज्य मुख्यालय में जमा करें ।

7— भण्डार (साजसज्जा) :—

दल विजिट कर संस्थाओं से मॉग पत्र प्राप्त करे तथा स्काउट—गाइड सामग्री के विक्रय में वृद्धि की जा सके । इस वर्ष एक करोड की सामग्री विक्रय करने का लक्ष्य है। अतः इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाकर विक्रय में वृद्धि की जावे । विक्रय करने वाले प्रभारी को 2 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि दिया जावेगा ।

8— लेखा शाखा :—

1 जिस ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 के कार्यकाल में प्रोजेक्ट, राज्य शिक्षा केन्द्र, अनुसूचित जाति, एवं आदिवासी विकास की लम्बित राशि का समायोजन शेष है या अन्य किसी भी प्रकार के समायोजन लम्बित है शीघ्र समायोजित कराये ।

बैठक के दौरान श्री आर. एस. तिवारी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने बैठक के उद्देश्य से अवगत कराते हुये कहा कि राज्य मुख्यालय द्वारा समय—2 पर जारी निर्देशों का पालन पूर्णतया न होने, बैठक दिनांक 04—06 जुलाई 2013 का पालन प्रतिवेदन पर कार्यवाही न होने से समक्ष में चर्चा करने हेतु यह शीघ्रता से संक्षिप्त बैठक आंमत्रित की गई है।

श्री तिवारी ने प्रत्येक ए.एस.ओ.सी. से उनके द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2013 से 15 अगस्त तक ए.एस.ओ.सी. / प्रभारी ए.एस.ओ.सी. द्वारा किये गये कार्य एवं कार्यदिवस की विस्तृत जानकारी का वाचन सम्बन्धित ए.एस.ओ.सी. के द्वारा बैठक में करवाया । बैठक में श्री बी.एल.शर्मा, ए.एस.ओ.सी. —स्काउट, श्रीमती अनुभूति सिंह, ए.एस.ओ.सी. —गाइड संभाग— उज्जैन का भ्रमण प्रतिवेदन का सुक्ष्म तुलनात्मक अवलोकन करने पर भ्रमित करने वाला पाया जिसे सम्बन्धितों द्वारा इसे गलत होना स्वीकार किया गया । श्री शर्मा कार्य प्रतिवेदन का वाचन किया गया एवं जो कार्य दिवस बताये गये उनमें 02 दिवस का अंतर पाया गया । शेष ए0एस0ओ0सी0 भी अपने कार्यो को स्पष्ट नहीं कर पाये

9— अन्य बिन्दुओं पर सामान्य चर्चा

1 रीवा—रीवा, सीधी, सतना की बैठक का संचालन ए.एस.ओ.सी.—रीवा द्वारा किया जावेगा।

2 उज्जैन—श्री बी.एल.शर्मा, ए.एस.ओ.सी.—स्काउट उज्जैन किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं रहे अतः उनका भ्रमण अमान्य करते हुए टी.ए. एवं डी.ए. नहीं देते हुए 05 दिवस का वेतन काटा जावे।. दिनांक 29—30 का श्री बी.एल.शर्मा द्वारा अवकाश पर रहना बताया गया, जो कि राज्य मुख्यालय से स्वीकृत नहीं था। 05 अगस्त 2013 से श्रीमती अनुभूति सिंह ने ए.एस.ओ.सी. —गाइड, उज्जैन का कार्यभार लिया है अतः 05 अगस्त के उपरांत के कार्य दिवस श्री बी.एल.शर्मा के अमान्य किये जाते हैं क्योंकि कोई ओर आदेश नहीं जारी किया गया था । श्रीमती अनुभूति सिंह ने ए.एस.ओ.सी. —गाइड, उज्जैन समस्त स्काउटर / गाइडर बैठक व संस्था प्रधान बैठक के कार्यवाही विवरण भेजे ।

3 इन्दौर —इन्दौर संभाग की ए.एस.ओ.सी. को और अधिक जिलो का भ्रमण करना था जिससे अधिक अच्छे परिणाम मिलते । बड़वानी जिले में डी.ओ.सी. नहीं है अतः स्काउटर / गाइडर व संस्था प्रधान बैठक में ए.एस.ओ.सी. को सम्मिलित होना चाहिये था । भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जावे ।

4 उज्जैन संभाग के ए0एस0ओ0सी0 द्वारा जुलाई माह में भ्रमण नहीं किया गया जो संतोषजनक नही है

5 होशंगाबाद —होशंगाबाद संभाग से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं पत्रिका, पंजीयन, 20 दल जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रगति नहीं हो रही है अतः होशंगाबाद संभाग की मॉनिटरिंग भोपाल से जावे एवं संभागीय अधिकारी का पदांकन उनसे चर्चा कर अन्यत्र स्थल पर स्थानान्तरण किया जावे।

6 ग्वालियर —ग्वालियर में श्री प्रमोद गंगराडे का 17 दिवस का कार्यदिवस परिणामोन्मुख नहीं रहा । कार्यालयीन आदेश की अवहेलना प्रतीत होती है । चिकित्सकीय कार्य दिवस के बारे में बाद में निर्णय लिया जावेगा । श्री गंगराडे का जुलाई एवं अगस्त के कार्यो में रूचि नहीं लेने से कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है ।

7 मुरैना— मुरैना संभाग के अंतर्गत श्योपुर में श्री ओमप्रकाश सिकरवार का कार्य संतोषप्रद नहीं है श्रीमती चद्रंकाता उपाध्याय, एस.ओ.सी.—जी, एवं श्री वीरसिंह प्रभारी ए.एस.ओ.सी. — एस. द्वार श्योपुर भ्रमण कर श्री ओमप्रकाश सिकरवार के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें कि श्योपुर की

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

गतिविधियों क्यो नहीं हो रही है ।

8 अधिकतर ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. द्वारा माह जुलाई में दलों का भ्रमण पर ध्यान नहीं दिया गया, माह जुलाई अगस्त में जिला संघों में स्काउटर–गाइडर की बैठके आयोजित होना थी जो आयोजित नहीं हो पाई। जिससे वार्षिक कैलेण्डर कार्यक्रम ठीक ढंग से नहीं हुये है एवं माह नवंबर में म.प्र में विधानसभा निर्वाचन का समय रहेगा जिससे स्कूल में शिक्षक व्यस्त रहेंगे मात्र 30 अक्टूबर तक संपर्क किया जा सकता है इसे दृष्टिगत रखते हुए उन्हें आगामी माहो में सिर्फ आपातकालीन/अति आवश्यक अवकाश ही स्वीकृत होगा । सभी ए0एस0ओ0सी0/डी0ओ0सी0 जिला संघ पदाधिकारियों को काम बाँटे एवं नये व्यक्ति/टीम कार्य हेतु तैयार करें । जिस ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. का कार्य प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहेगा उनका वेतन जारी नहीं होगा तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

9 प्रत्येक जिले में कम से कम 02 एच.डब्ल्यू.बी. स्तर के प्रशिक्षक एवं 02 राष्ट्रपति स्काउट–गाइड तैयार किये जावे ।

10 राज्य शिक्षा केन्द्र एंव प्रोजेक्ट तथा पंजीयन की ए.एस.ओ.सी. पर लंबित राशि बाबत् का विश्लेषण कर 02 दिवस में जानकारी से लेखाधिकारी को अवगत करावे तथा राशि का समायोजन हो सके अन्यथा राशि की तत्कालीन अधिकारी एवं वर्तमान में सम्बन्धित से वसूली वेतन के माध्यम से की जावेगी ।

11. राज्य मुख्यालय द्वारा ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. को इंटरनेट के माध्यम से एस.एम.एस. द्वारा भी कार्यालयीन कार्य सम्बन्धी सूचना दी जाती है संभागीय मुख्यालय भी इस प्रकार भी सूचनाओं का आदान प्रदान करें। इंटरनेट हेतु डाटा कार्ड परचेस किया जावे ताकि ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. किसी भी समय कार्यालय से इंटरनेट का प्रयोग कर आवश्यक कार्यालयीन जानकारी राज्य मुख्यालय/जिलों को भेज सके एवं वेबसाईट–ईमेल से जानकारी प्राप्त कर सकें । संभाग के दूरभाष का व्यय अधिक आने पर दूरभाष सुविधा समाप्त करवा दी जावेगी ।

12 प्रशिक्षण केन्द्रों से आय अर्जित करने का प्रयास करें एवं प्रत्येक माह किये गये प्रयास की जानकारी से लिखित में अवगत करावें ।

13 ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. राशि जमा करने राज्य मुख्यालय नहीं आवें । राशि सीधे राज्य मुख्यालय के संबंधित शाखाओं के खाते में जमा करते हुए सूचना ई–मेल एवं एस.एम.एस. से राज्य सचिव/सम्बन्धित कक्ष प्रभारी को भेजे । नगद राशि का लेनदेन न करें ।

14 जो ए.एस.ओ.सी. (स्काउट/गाइड) वर्तमान पद पर कार्य करने में स्वयं को सक्षम नहीं पा रहे हैं वह लिखित में कार्यालय को अवगत करावें जिससे उन्हें अन्यत्र जिलों में स्थानान्तरित किया जा सके ।

15 संभाग में आयोजित होने वाली संभागीय समीक्षा बैठक साधारण तरीके से आयोजित हो अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे । बैठक स्कूल में आयोजित की जावे एवं इन बैठकों में दल भ्रमण, जिला रैली, बच्चों का एडवांसमेंट व पंजीयन प्रमुख प्राथमिकता है ।

16 बैठक में सम्मिलित होने के पूर्व ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. के पास आवश्यक सामग्री होने से उन्हें कार्य में सुविधा होगी । अतः निम्नानुसार चेक लिस्ट बनाकर उसके अनुसार कार्य का क्रियान्वयन किया जावे ।

(01). <u>डायरी</u>–एक डायरी रखे । डायरी में सभी बिंदु प्रति दिवस लिखे एवं कितने बिंदुओं का क्रियान्वयन हुआ ? स्वयं समीक्षा करें ।

(02). <u>कार्य विभाजन</u>–जिला संघ के पदाधिकारियों के साथ कार्य का विभाजन करे एवं सभी के साथ बैठक कर साप्ताहिक कार्यो की समीक्षा करें ।

(03) राज्य मुख्यालय की <u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>–विगत ए.एस.ओ.सी./डी.ओ.सी. की राज्य मुख्यालय में आयोजित बैठकों का कार्यवाही विवरण क्रियान्वयन करें एवं पालन प्रतिवेदन भेजें।

(04). <u>द्वितीय सोपान</u>–माह अगस्त में द्वितीय सोपान के जॉच शिविर का आयोजन एंव द्वितीय सोपान/द्वितीय चरण के बच्चों की सूची तैयार कर शीघ्र भेजे ।

(05) <u>प्रस्ताव की सूची</u>– बेसिक/एडवांस कोर्स हेतु शिक्षक/शिक्षिकाओं के नाम की सूची भेजे।

(06). <u>दल भ्रमण</u>–नियमित रूप से करें इस हेतु विकासखंडों का भ्रमण करें ।

(07). <u>पेट्रोल लीडर कैंप</u> –सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह में पेट्रोल लीडर कैंप का आयोजन प्रत्येक

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

विकासखंड में किया जावे इसका विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर भेजे ।

(08). मासिक प्रतिवेदन –मासिक कार्य योजना पर कार्य कर मासिक प्रतिवेदन भेजे ।

(09). जिला रैली –माह अक्टूबर में जिला रैली के आयोजन करने हेतु आवश्यक तैयारी कर समस्त परिपत्र माह सितम्बर में जारी कराये ।

(10). भंडार (साज–सज्जा) – क्रय आदेश में सामग्री का अधिक से अधिक विक्रय करे ।

(11). पत्रिका "बालचर रवि" सदस्यता – सदस्यता वृद्धि करें एवं पत्रिका हेतु विज्ञापन प्राप्त करें ।

(12). पंजीयन राशि– शाला वार विवरण तैयार कर लंबित राशि राज्य मुख्यालय भिजवायें ।

(13) 20 दल – सूची तैयार कर बच्चों एवं शिक्षकों का एडवांसमेंस करावें । कार्यक्रमों हेतु संयुक्त संचालक व डी.ई.ओ / सहा.आयु. से जारी आदेश की प्रतिलिपि भी साथ में भेजी जावे ।

17 माह सितम्बर 2013 में दल भ्रमण कार्यक्रम 15 सितम्बर तक सघन रूप से चलेगा। ब्लाक में भी दल भ्रमण किया जावे । 15 सितम्बर पश्चात् पेट्रोल लीडर कैंप, कार्य योजना पर कार्य किया जावे। जिला रैली हेतु आवश्यक परिपत्र तैयार कर जारी करायी जावे ।

18 संभाग स्तरीय तृतीय सोपान हेतु निम्न तैयारिंया की जावे –

- द्वितीय सोपान उत्तीर्ण छात्र / छात्राओ की सूची ।
- बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ।
- प्रतिभागी बच्चो ंका टेस्ट कार्ड ।
- टेस्ट कार्ड में एडवांसमेंट चैक करना
- लॉग बुक में समस्त बैजों की जानकारी ।
- दल का चार्टर । स्काउट मास्टर / गाइड कैप्टिन का वारंट
- व्यवस्थित यूनिफार्म ।
- मानसभा का रजिस्टर ।
- प्रगति रजिस्टर ।

19. सभी जिलों के स्वतंत्र परीक्षकों की सूची भेजे । बैज परीक्षक के रूप में विषय विशेषज्ञ को सम्मिलित करावें ।

20 ए.एस.ओ.सी.– इंदौर,, उज्जैन के प्रतिदिन कार्य प्रतिवेदन के बारे में श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर, संयुक्त राज्य सचिव, ग्वालियर एवं भोपाल संभाग /श्रीमती चन्द्रकान्ता उपाध्याय एस0ओ0सी0 (गाइड) को तथा शेष संभाग के ए..एस.ओ.सी. , श्री प्रकाश दिसोरिया, एस0ओ0सी0 (स्काउट) को अवगत करावेगें । यह जानकारी लेण्डलाइन दूरभाष पर नियमित रूप से दी जावे ।

21 ए.एस.ओ.सी / डी.ओ.सी. को मोबाईल खराब होने पर दूसरे मोबाईल का प्रबंध करना होगा । उनका मोबाईल स्विच ऑफ नहीं मिले । यदि किसी का मोबाईल बन्द पाया जाता है तो कठोर कार्यवाही की जावेगी ।

22 डी.ओ.सी. का कार्य प्रतिवेदन नियमित माहवार नहीं आता है अथवा इकट्ठा दो–तीन माह का प्राप्त होता है अतः ए.एस.ओ.सी. स्वयं के प्रतिवेदन के साथ सभी डी0ओ0सी0 का प्रत्येक माह कार्य प्रतिवेदन भेजे ।

23 लेखाप्रभारी एवं साज सज्जा कक्ष प्रबंधक, राशि के समायोजन हेतु ए.एस.ओ.सी. से चर्चा कर वर्तमान ए.एस.ओ.सी. एवं तत्कालीन ए.एस.ओ.सी को संभागवार आंमत्रित कर राशि का समायोजन हेतु आदेश जारी करें ।

इस अवसर पर ए.एस.ओ.सी. हेतु माह अगस्त एवं सितम्बर की कार्य योजना की प्रति सभी को उपलब्ध करवाने के साथ प्रत्येक बिंदु पर प्रजेंटेशन के माध्यम से चर्चा की गई । राज्य मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रमुख प्राथमिकताओं से अवगत कराया गया तथा निर्धारित प्राथमिकतानुसार कार्य करने के निर्देश दिये गये । प्राथमिकताएँ इस प्रकार है :–

1. 20 दल की सूची जो दल जिले में सक्रीय रूप से संचालित है, दल भ्रमण अनिवार्य है।
2. प्रत्येक माह ए.एस.ओ.सी. / डी.ओ.सी. (स्का.गा.) की मासिक कार्य योजना राज्य मुख्यालय द्वारा बनाई जायेगी एवं **मासिक कार्य प्रतिवेदन प्रतिमाह 05 तारीख तक अनिवार्यतः राज्य मुख्यालय को प्राप्त हो जावें** जिसमें

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

लक्ष्य–पूर्ति का उल्लेख हो। माह अगस्त एवं सितम्बर की कार्ययोजना में निम्न बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जावे ।

क्र.	कार्यक्रम	आयोजित करने की समय–सीमा
3	**युवा कार्यक्रम :–** (1) द्वितीय सोपान जॉच शिविर आयोजित करने हेतु	माह अगस्त के अंतिम सप्ताह
	(2) तृतीय सोपान जॉच शिविर आयोजित करने हेतु	माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह
	(3) पेट्रोल लीडर केम्प विकासखण्ड स्तर पर	माह सितम्बर के अंतिम सप्ताह
	(4) जिला स्तरीय रैली जिला स्तर पर आयोजित करने हेतु	प्रस्तावित तिथि – 26 से 30 अक्टूबर 2013
4	**वयस्क कार्यक्रम :–** (1) बेसिक स्काउट / कब मास्टर प्रशिक्षण शिविर में लक्ष्य के अनुसार प्रतिभागिता सुनिश्चित कराना	दिनांक 05 से 11 सितम्बर 2013 दिनांक 28 सितम्बर से 04 अक्टूबर 2013
	(2) बेसिक गाइड केप्टिन / फ्लाक लीडर प्रशि. शिविर में लक्ष्य के अनुसार प्रतिभागिता सुनिश्चित कराना	दिनांक 03 से 09 सितम्बर 2013
	(3) एडवांस स्काउट / कब मास्टर प्रशिक्षण शिविर में लक्ष्य के अनुसार प्रतिभागिता सुनिशिचित कराना	दिनांक 15 से 21 अक्टूबर 2013
	(4) एडवांस गाइड केप्टिन / फ्लाक लीडर प्रशि. शिविर में लक्ष्य के अनुसार प्रतिभागिता सुनिश्चित कराना	दिनांक 15 से 21 अक्टूबर 2013
5	प्रतिमाह पंजीयन राशि भेजी जायें	प्रतिमाह 20 से 25 तारीख तक राज्य मुख्यालय अनिवार्य रूप से भेजें।
6	प्रतिमाह भण्डार हेतु 50,000.00 रू. के आदेश प्राप्त किये जायें	
7	प्रतिमाह पत्रिका की सदस्यता संख्या में वृद्धि	
8	पत्रिका में विज्ञापन हेतु 5,000.00 रू. प्रतिमाह / प्रतिजिला	

9. जिला संघ का आडिट प्रारंभ किया गया है, प्रति संभाग, माह अक्टूबर, नबम्वर, दिसम्बर 2013 एवं जनवरी, फरवरी 2014 में दो जिलो के नाम व आदेश निकलवा कर भेजें।
   प्रस्तावित तिथि :– (1) जिला संघ उज्जैन – 22.08.13 (2) जिला संघ विदिशा – 22.08.13
10. प्रतिमाह अनिवार्य रूप से 36 शालाओं (दलों) का भ्रमण अनिवार्य होगा। यानी प्रति सप्ताह में 12 दलो का भ्रमण साथ ही 02 विकासखंड के भ्रमण भी प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से किया जावे ।
11. प्रति सप्ताह के कार्यो की रिपोर्ट भेजने हेतु चेकलिस्ट तैयार कर जावें कि कौन–कौन से कार्य प्राथमिकता से करना है ।
12. प्रस्तावित मासिक कार्ययोजना साप्ताहिक रिपोर्ट का क्रियान्वयन कर ई–मेल से जानकारी भेजें।
13. समस्त प्रशिक्षण संभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किये जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक प्रशिक्षण में राज्य मुख्यालय के प्रतिनिधि मानीटरिंग करेगें, बगैर राज्य मुख्यालय प्रतिनिधि के प्रशिक्षण मान्य नही होगा।

बैठक में श्री जे.के. नामदेव, प्रभारी ए.एस.ओ.सी.–स्काउट जिला शहडोल के कार्य एवं कार्यशैली की प्रशंसा की गई, ज्ञातव्य हो कि श्री नामदेव शिक्षा विभाग के कर्मचारी है एवं संस्था में अवैतनिक कार्य कर रहे हैं ।

ग्वालियर संभाग में श्री शंकर सिंह ने एवं मुरैना संभाग में श्री वीरसिंह ने सराहनीय कार्य किया है वह बधाई के पात्र है ।

संभाग / जिलों से राज्य मुख्यालय की मंशानुसार अपेक्षित परिणाम न आने से प्रयोग के तौर पर संस्था की आवश्यकता एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बैठक में निम्न ए.एस.ओ.सी. / डी.ओ.सी. को उनके वर्तमान संभाग / जिलों के स्थान पर नवीन जिले कार्य हेतु आवंटित किये गये जिसका आदेश पत्र भी प्रदान किया गया –

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	जिले जिनका प्रभार सौंपा गया ।
श्री बी.एल.शर्मा, ए.एस.ओ.सी. स्काउट	उज्जैन –	नीमच, मंदसौर
श्रीमती अनुभूति सिंह, ए.एस.ओ.सी. गाइड	उज्जैन –	रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर
श्री हरिदत्त शर्मा ए.एस.ओ.सी. स्काउट	रीवा –	रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली
श्री विक्रम सिंह चौहान, ए.एस.ओ.सी. स्काउट	होशंगाबाद –	होशंगाबाद, हरदा
श्री एच. सिद्धिकी, ए.एस.ओ.सी. स्काउट	बैतूल –	बैतूल जिला एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जामठी
श्री प्रमोद गंगराडे, ए.एस.ओ.सी.	ग्वालियर–	गुना, शिवपुरी
श्री शंकर सिंह, प्र.ए.एस.ओ.सी.	ग्वालियर–	ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर
श्री वीर सिंह, ए.एस.ओ.सी.	मुरैना–	यथावत
श्रीमती उषा यादव, ए.एस.ओ.सी. गाइड	इंदौर –	खंडवा, बुरहानपुर, खरगौन
श्री सुशील कुशवाह, प्र0ए.एस.ओ.सी.	धार–	धार, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी
श्रीमती संतोष सिंह, ए.एस.ओ.सी. गाइड	भोपाल –	राजगढ़, भोपाल

अन्य सभी ए0एस0ओ0सी0 अधिकारी यथावत रहेंगे लेकिन श्री उमेश श्रीवास्तव अस्थाई तौर पर जिला संघ सिवनी का कार्य देखेगें ।

बैठक के अंत में श्री रामनरेश तिवारी, एस.टी.सी.–स्काउट की बेटी के बीमारी के पश्चात् अल्प आयु में निधन होने की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् श्रद्धांजली हेतु दो मिनिट का मौन रखकर भावभीनी श्रृद्धांजली अर्पित की गई तत्पश्चात् बैठक का समापन किया गया ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 / 3478 / रामु / समीक्षा बैठक / 2013 भोपाल, दिनांक 30 / 08 / 2013

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु–

1. माननीय राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3. संयुक्त राज्य सचिव, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4. राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
5. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
6. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड) / जिला संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड) संभाग / जिला मुख्यालय ....(म0प्र0) की ओर भेजकर निर्देश है कि उपरोक्त निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिन्दुवार आवश्यक जानकारी / पालन प्रतिवेदन भेजे ।
7. समस्त शाखा प्रभारी ....राज्य मुख्यालय भोपाल ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com